गोवा शिपयार्ड लिमिटेड

सीआयएन : U63032GA1967GOI000077

पंजीकृत कार्यालय : वाडेम, वास्को-द-गामा, गोवा - 403 802.

ईमेल: contactus@goashipyard.com; वेबसाइट: www.goashipyard.in

शेयरधारकों के ध्यानाकर्षण हेतु

आयकर अधिनियम के अनुसार देय लाभांश पर टीडीएस के लिए वैध पैन प्रति का पंजीकरण

1. सदस्य नोट करें कि, वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी अधिनियम ') में संशोधन के अनुसार सदस्यों को कंपनी द्वारा 01 अप्रैल, 2020 के बाद भुगतानित या वितरित किया गया लाभांश कर योग्य होगा। इसलिए कंपनी को लाभांश का भुगतान करने के समय स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करनी होगी। सदस्यों से अनुरोध है कि वे आईटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेजों को प्रस्तुत करें, ताकि हम तद्संबंधी लागू उचित टीडीएस दर निर्धारित कर सकें।

निवासी सदस्यों के लिए आईटी अधिनियम की धारा 194 के तहत स्रोत पर करों में निम्नलिखित कटौती की जाएगी:

कंपनी के रिकार्डों में अद्यतन वैद्य पैन	7.5% या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार
पैन नहीं है/ वैद्य पैन कंपनी के रिकार्डों में अद्यतन नहीं किए गए	20% या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार

जिन सदस्यों ने अपना पैन पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे वैध पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति जमा करें। कॉर्पोरेट सदस्यों के मामले में प्रतियों को, सत्यापन उनके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जाना है। हालांकि, निवासी व्यक्ति के देय लाभांश पर कोई कर काटौती नहीं की जाएगी, यदि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान उसके द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कुल लाभांश 5,000/- रुपये से अधिक नहीं है। इसके अलावा, यदि निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक फॉर्म 15जी (कंपनी या किसी फर्म के अलावा किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है) / फॉर्म 15एच (60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए लागू है) स्वयं सत्यापित पैन कार्ड की एक प्रति के साथ उपलब्ध किया तो कोई टीडीएस की कटौती नहीं की जाएगी। निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक भी न्यून कर का दावा करने के लिए आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित किसी अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत कर सकते हैं।

अनिवासी सदस्यों के लिए धारा 195 के प्रावधानों और आईटी अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, वर्तमान दर से कर काटौती की जाएगी। रोका गया कर 20% (प्लस लागू सरचार्ज और सेस) की दर से या देय लाभांश की राशि पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार होगी। हालाँकि, आईटी अधिनियम की धारा 90 के अनुसार, अनिवासी

सदस्यों के पास भारत और कर निवास के सदस्य के देश के बीच दोहरे कर परिहार समझौते (डीटीएए) के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प है, यदि उन्हें अधिक लाभकारी हैं।

इस संबंध में, अनिवासी सदस्यों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रदान करने होंगे:

क) वर्ष के लिए शेयरधारक के निवास देश के राजस्व प्राधिकरण द्वारा कर निवास प्रमाण पत्र, जिसमें लाभांश प्राप्त होता है, सदस्य द्वारा विधिवत सत्यापित हो।

ख) फॉर्म 10एफ में विधिवत भरकर और हस्ताक्षरित स्व-घोषणा;

ग) भारत में कोई स्थायी स्थापना न होने से शेयरधारक द्वारा स्व-घोषणा;

घ) पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति; और

ङ.) यदि करों के कम रोक के लिए आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज लागू हो तो, वह सदस्य द्वारा विधिवत सत्यापित हो।

लाभकारी कर संधि दर का आवेदन अनिवासी सदस्य द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की पूर्णता और कंपनी की संतुष्टि की समीक्षा पर निर्भर होगा।

2. कृपया उपर्युक्त दस्तावेज में, फोलियो संख्या का उल्लेख कर श्री अशोक कुमार साहू, सहायक कंपनी सचिव के ईमेल आयडीः ashoksahoo@goashipyard.com पर या कंपनी के आरटीए ईमेल आयडी : support@purvashare.com पर या या वार्षिक साधारण बैठक की तारीख से पहले संबंधित डीपी के साथ अद्यतन करें।

3. अधिक जानकारी के लिए कृपया दूरभाष नंबर 91-832-2514232 पर श्री अशोक कुमार साहू से संपर्क कर सकते हैं।

कृते गोवा शिपयार्ड लिमिटेड

छाया

(छाया जैन)
कंपनी सचिव

स्थान : वास्को-द-गामा
दिनांक : 11 अगस्त 2020